



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 3, 2012/भाद्र 12, 1934

No. 435]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2012/BHADRA 12, 1934

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 663(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 21 जून, 2012 में प्रकाशित, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 484(अ) तारीख 21 जून, 2012 के हिंदी पाठ में :—

1. पृष्ठ संख्या 2 पर अनुसूची में उप महानिरीक्षक (इंजीनियर) पद से संबंधित स्तंभ 2 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाए, अर्थात् :—

“06*

(2012)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेगा”

2. पृष्ठ संख्या 6 पर अनुसूची में उप कमांडेंट (इंजीनियर) पद से संबंधित स्तंभ 2 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाए, अर्थात् :—

“27*

(2012)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेगा”

[फा. सं. I.12011/09/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 484(अ) तारीख 21 जून, 2012 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd September, 2012

G.S.R. 663(E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs *vide* G.S.R. 484(E) published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of Gazette of India Extraordinary dated 21st June, 2012, at page No. 18 in the schedule against serial number 3 relating to the post of Deputy Commandant (Engineer), for the entries in column 2 the following shall be substituted :—

27*

(2012)

*Subject to variation dependent on work load.

[F. No. I. 12011/09/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note : Principal rules were published *vide* G. S. R 484(E), dated 21-6-2012.